

01.7.19

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता व स्वयं प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी-पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता की वदम सुनी गयी। प्रार्थी द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत व मान किया गया कि गण वीडियो दस्तावेज जयपुर स्थित थाराजीपात रजिस्ट्रार-नम्बर 208/1, 185/1 व 204/2 के पुत्र में लिखा गया है कि वह प्रार्थी के कब्जे काश्त व खाते धरी की शक्ति है। तहसीलदार जयपुर के आदेश- 28-5-18 की पालन में सीमांतान दिनांक 19-6-18 को करवाया गया था। वह पड़ोसीयों की मौजूदगी (खड्गभल, राजेन्द्र, बाबूलाल व प्रभुपाल) व सीमांतान करने में सहमति व कोई विवाद नहीं किया गया है अंकित किया गया। न्यायापालक द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता की सुनी गयी वदम पर मुनन सीमा-रान रिपोर्ट, प्रार्थी-पत्र के अवलोकन बाद प्रार्थी के प्रार्थी-पत्र को स्वीकार किया जाना अनिच्छित समझता है। प्रार्थी-पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार-जयपुर को सीमांतान का उल्लेख करते हुए, पक्षवारों की उपस्थिति में पाचशही किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। प्रार्थी-पत्र फैसल-शुक्र, नम्बर 10 है। निष्पत्ति और रूपांतर सुनाया गया।

उप-खण्ड अधिकारी  
जयपुर (प्रथम) जयपुर